


**कार्यालय- जिला एवं सत्र न्यायाधीश जबलपुर (म.प्र.)**

**// आदेश //**

क्रमांक- 34 / कोरोना / दो-12-11 / 2020 जबलपुर, दिनांक- 20 जुलाई 2020


माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी गाईडलाईन क्रमांक सी / 1778 दिनांक 19.07.2020 में पूर्व में जारी गाईडलाईन क्रमांक डी / 2377 दिनांक 27.06.2020, व्यू-12 दिनांक 04.05.2020 तथा पूर्व में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुक्रम में कार्यावधि को दिनांक 20.07.2020 से 25.07.2020 तक जारी रखने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः उक्त निर्देश एवं पूर्व में दिये गये निर्देशों के अधीन दिनांक 25.07.2020 तक न्यायालयीन कार्य पूर्ववत् जारी रहेगा।

  
(नवीन कुमार सक्सेना)  
जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
जबलपुर (म.प्र.)

पृष्ठा.क्रं- 1869 कोरोना / दो-12-11 / 2020 जबलपुर, दिनांक- 20 जुलाई 2020  
प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, माननीय पोर्टफोलियो न्यायाधिपति महोदय उच्च न्यायालय म.प्र.जबलपुर, को अवगत कराने हेतु अग्रेषित।
2. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर।
3. प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय जबलपुर।
4. कलेक्टर जबलपुर।
5. पुलिस अधीक्षक जबलपुर।
6. अध्यक्ष / सचिव जिला अधिवक्ता संघ जबलपुर।
7. समस्त न्यायिक अधिकारीगण जबलपुर / सिहोरा / पाटन।
8. मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी जबलपुर।
9. प्रभारी अधिकारी नजारत / प्रतिलिपि / कम्प्युटर अनुभाग / सिस्टम ऑफिसर जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग जबलपुर / सिहोरा / पाटन की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि, न्यायालय परिसर के मुख्य द्वार पर संलग्न नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने एवं भवन की सुरक्षा व्यवस्था इत्यादि के संबंध में उचित कार्यवाही करने हेतु।
11. कमिश्नर, नगर निगम जबलपुर।
12. अध्यक्ष, न्यायिक कर्मचारी संघ, जिला शाखा जबलपुर की ओर समस्त कर्मचारीगण को अवगत कराने हेतु प्रेषित।
13. प्रशासनिक अधिकारी / उप प्रशासनिक अधिकारी जिला न्यायालय जबलपुर की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित की संबंधित आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

  
जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
जबलपुर (म.प्र.)